वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6—7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी —आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

उनवान

1— श्री मु0 गंगा पुत्री परथू गुर्जर निवासी गूंदली तहसील व जिला भीलवाडा।
2— मु0 झमकू पुत्री परथू गुर्जर मृतक के बजाय कायम मुकाम
2/1 लादूलाल पुत्र स्व0 झमकू गुर्जर निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा।
2/2 रतनी पुत्री स्व0 झमकू गुर्जर निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा।

—— वादी

बनाम

1— श्रीमति रतनी बेवा उदयलाल निवासी गूंदली तहसील व जिला भीलवाडा।
2— श्री जगदीश गोद पिता उदयलाल गुर्जर आयु— नाबालिग बबिलायत रूपा निवासी गूंदली तहसील व जिला भीलवाडा।
3— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92,क व 188 आरटीए एक्ट 1955

प्रकरण संख्या—311/2011 राजस्व वाद

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरदयाल वर्मा उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता अम्बालाल कुमावत उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता विनोद राव उपस्थित में — इस वाद में तारीख 03.06.2024 पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है —

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92,क व 188 आरटीए एक्ट 1955 का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम गुन्दली प0ह0 गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 749, 760, 761, 1346 कुल किता 4 कुल रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा भूमि में वादीगण संख्या 01 का 1/3 हक हिस्सा व वादी संख्या 2/1 से लगायत 2/2 का 1/3 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हक हिस्सा घोषित किया जाता हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपना हक हिस्सा वादीगण संख्या 01 व 2/1 से लगायत 2/2 के पक्ष में छोडने से उक्त हिस्से की भूमि की प्रचलित डीएलसी दर अनुसार मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क वादीगण द्वारा अदा करने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हक हिस्से की भूमि वादीगण संख्या 1 व 2/1 से लगायत 2/2 के पक्ष में इन्द्राज करने की अनुमति प्रदान की जाती है उपरोक्तानुसार कार्यवाही होने के पश्चात राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार भीलवाडा इन्द्राज करें। राजीनाम दिनांक 11.03.20222 डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आज दिनांक 03.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारीः–आल्हाद निवृति सामनाथ,आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–311/2011 राजस्व वाद

1–मु. गंगा पुत्री परथु गुर्जर निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा।
2– मु. झमकू पुत्री परथु गुर्जर मृतक के बजाय कायम मुकाम
2/1 लादूलाल पुत्र स्व. झमकू गुर्जर निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा।
2/2 रतनी पुत्री स्व. झमकू गुर्जर निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा।

-----वादीगण

बनाम

1–श्रीमति रतनी बेवा उदयलाल गुर्जर निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा।
2–जगदीश गोद पिता उदयलाल गुर्जर नाबालिग बबिलायत रूपा निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा।
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 आरटीएक्ट 1955

उपस्थित

1. अधिवक्ता वादीगण हरदयाल वर्मा
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 की और से अम्बालाल कुमावत
3. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 की और से विनोद राव

:: नि र्ण य ::

दिनांकः– 3-06-2024

वादीगण ने वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम गुन्दली प0ह0 गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज परथू गुर्जर की संयुक्त कब्जेयाबी एवं स्वामित्व की आराजी नम्बर 749, 760, 761, 1366 कुल किता 04 कुल रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है, परथू जी के फौत होने के बाद उक्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता के नाम खाते में दर्ज होना चाहिए थी, लेकिन गलती से खाता परथू के दोनो पुत्र गोपी पिता परथू व बालू पिता परथू के नाम खुल गया बालू लाऔलाद फौत होने से खाता गोपी की मृत्यु के बाद उदयलाल के नाम खुल गया, अब प्रतिवादी संख्या 01 अकेली अपने नाम पर खाता खुलवाना चाहती है प्रतिवादी संख्या 01 अपने अकेले के नाम पर खाता खुलवाकर जमीन बेचने पर उतारू है, वादीगण के परिवार के सजरे में परथू गुर्जर के गोपी पुत्र फौत, बालू पुत्र लाऔलाद फौत, छोगा पुत्र कालू गुर्जर के गोद गया झमकू पुत्री गंगा पुत्री गोपी पुत्र फौत, उदयलाल पुत्र गोपी फौत, रतनी बेवा उदयलाल, जगदीश गोदपुत्र उदयलाल है। परथू की वादीगण पुत्रीया होकर प्रथम श्रैणी की वारिसारन है। पारिवारिक सजरे अनुसार गोपी का 1/3, झमकू का 1/3 व गंगा का 1/3 हक हिस्सा बनता है। राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजी अकेले स्व0 उदयलाल के नाम होने से प्रतिवी संख्या 01 अपने नाम पर नामान्तरकरण खुलवाकर भमि बेचने पर उतारू है इसलिए यह इन्द्राज दुरुस्ती का दावा प्रस्तुत किया है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त पुश्तैनी आराजियात में वादीगण का 1/3 हक हिस्सा, प्रत्येक का घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में खाता अलग कराया जाये।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये, वादी संख्या 02 की मृत्यु होने से कायम मुकाम प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 जा0दी0 का दिनांक 11/3/2022 को पेश किया गया इसके साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा भी पेश किया गया। राजीनामा का विवरण इस प्रकार है:-

" ग्राम गुन्दली प0ह0 गुन्दली में वादीगण के पूर्वज परथू गुर्जर के नाम पर आराजी संख्या 749, 760, 761, 1346 कुल किता 04 कुल रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा स्थित है, परथूजी की मृत्यु के बाद खाता अकेले पुत्र गोपी व बालू के नाम दर्ज हो गया जबकि परथू की पुत्रीया झमकू व गंगा भी जीवित थी, बालू लाऔलाद फौत हो गया, गोपी की मृत्यु के बाद खाता अकेले गोपी के लडके उदयलाल के नाम दर्ज हो गया उदयलाल की मृत्यु के बाद उसकी पत्नि रतनी ने जाति रस्म रिवाज अनुसार अन्य भैरू गुर्जर निवासी मेदाखेडी तहसील राशमी जिला चितौडगढ से नाता विवाह कर लिया अब दोनो पक्षकारान में यह राजीनामा हो गया है कि उक्त वर्णित आराजियात में अकेली वादीगण का कब्जा व भुगतभ्ज्ञोग है तथा स्व0 परथूजी की एक मात्र वारिसान वादीगण है। रतनी अन्यत्र नाते चली गई अब रतनी उक्त आराजियात में कोई हिस्सा नही लेना चाहती है। उक्त आराजियात को वादीगण के नाम खाते में दर्ज कर दी जावे तो प्रतिवादी संख्या 01 रतनी व 02 जगदीश को कोई एतराज नही है। राजीनामा के आधार पर दावा डिकी कर वादीगण को उक्त वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। इस राजीनामे पर गंगा, रतनी, जगदीश गुर्जर के हस्ताक्षर होकर गंगा रतनी, जगदीश, लादू की पहचान वादी अधिवक्ता हरदयाल वर्मा द्वारा की गई है एवं रतनी की पहचान अम्बालाल कुमावत अधिवक्ता द्वारा की गई है।

" वादपत्र के समर्थन में शपथ पत्र गंगा पुत्री परथू गुर्जर एवं लादू पुत्र झमकू गुर्जर ने पेश किया है। जिसमें अंकित किया है कि गोपी पुत्र परथू के एक पुत्र उदयलाल था जो फौत हो चुका है। रतनी बेवा उदयलाल जिसने उदयलाल की मृत्यु के बाद दुसरा विवाह भैरू गुर्जर निवासी मेदाखेडी तहसील राशमी जिला चितौडगढ से नाता विवाह कर लिया। उदयलाल के कोई नर व नारी संतान निकलती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी वादीगण की होगी इसके साथ ही छोगा दत्तक पुत्र कालू गुर्जर का होने संबंधि जमाबन्दी की नकल संवत 2075 से 2078 खाता संख्या 144 की संलग्न प्रस्तुत की है।

" वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 व धारा 151 जा0दी0 का दिनांक 11.03.2022 को प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार किया गया संशोधित उनवान पेश किया गया जो संलग्न है।

" वादीगण के वादपत्र एवं उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का भली भांति परीक्षण किया गया। वादग्रस्त आराजियात ग्राम गुन्दली प0ह0 गुन्दली के आराजी नम्बर 749, 760, 761, 1346 कुल किता 04 कुल रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा भूमि जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 में परथू पिता बिरम गुर्जर सा0 देह खातेदार दर्ज है, जो जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 में उदयलाल पिता गोपी गुर्जर के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की पुश्तैनी होकर परथु की विरासत में बालू, गोपी पिता परथु गुर्जर के नाम दर्ज हुई। बालू के लाऔलाद फौत हो जाने से भूमि गोपी के नाम दर्ज हो गई और गोपी के फौत होने पर उदयलाल के नाम दर्ज हो गई, वादीगण परथू गुर्जर की पुत्रीयॉ होकर प्रथम श्रैणी की वारिस है, छोगा पुत्र परथू गुर्जर कालू गुर्जर के गोद गया जिसमें

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

में दर्ज रेकार्ड है।
...गा दत्तक पुत्र कालू गुर्जर ग्राम गुन्दली में खाता संख्या 144 में दर्ज रेकार्ड है।
...स प्रकार गोपी के वारिसान का 1/3 हक हिस्सा एवं झमकू का 1/3 हक हिस्सा, गंगा का 1/3 हक हिस्सा बनता है। गोपी के वारिसान रतनी बेवा उदयलाल एवं जगदीश गोद पुत्र उदयलाल ने अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोडने का राजीनामे में अंकन किया गया है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात में वादीगण संख्या 01 का 1/3 हक हिस्सा एवं वादी संख्या 02/1 से लगायत 2/2 का 1/3 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हक हिस्सा घोषित किया जाना एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये राजीनामा दिनांक 11.03. 2024 अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपना हक हिस्सा वादीगण संख्या 1 व 2/1 से लगायत 2/2 के पक्ष में छोडने से उक्त हिस्से की भूमि की प्रचलित डीएलसी दर अनुसार मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क वादीगण द्वारा अदा करने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हक हिस्से की भूमि वादीगण संख्या 1 व 2/1 से लगायत 2/2 के पक्ष में इन्द्राज करना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादीगण का वादपत्र राजीनामा दिनांक 11/3/2022 के अनुसार स्वीकार योग्य ठहरता है अतःएवं

:: आदेश

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 आरटीए का स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम गुन्दली प0ह0 गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 749, 760, 761, 1346 कुल किता 04 कुल रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा भूमि में वादीगण संख्या 01 का 1/3 हक हिस्सा व वादी संख्या 2/1 से लगायत 2/2 का 1/3 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपना हक हिस्सा वादीगण संख्या 1 व 2/1 से लगायत 2/2 के पक्ष में छोडने से उक्त हिस्से की भूमि की प्रचलित डीएलसी दर अनुसार मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क वादीगण द्वारा अदा करने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हक हिस्से की भूमि वादीगण संख्या 1 व 2/1 से लगायत 2/2 के पक्ष में इन्द्राज करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही होने के पश्चात राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार भीलवाडा इन्द्राज करे। राजीनामा दिनांक 11.03.2022 डिकी का पार्ट रहेगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिकी जारी हो।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा